

2678/2008 PP

8



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482631



1. भूमि का प्रकार — कृषि भूमि
 2. मौहल्ला/ग्राम...मौजा स्थित मौजा आन्धौर तहसील व जिला मथुरा
 3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.715.87 हैक्टेयर
 4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
 5. पेड़ों का मूल्यांकन नहीं
 6. बोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
 7. प्रतिफल की धनराशि 1500000 /—रुपये
 8. स्टाम्प हेतु मालियत 1500000 /—रुपये
 9. स्टाम्प देय 150000 /—रुपये
 10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 800000 /—रुपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 39 क्रमांक 1 पर दर्ज है।
- कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा —प्रथम/द्वितीय

शासक/हस्ताक्षर

मथुरा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482630



(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

चन्द्रपाल पुत्र श्री मवासी निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री बालेराम निवासी कोयला बाली बस्ती झींगुरपुरा, मथुरा

मैं कि चन्द्रपाल पुत्र श्री मवासी निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हूँ।

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-160 व खसरा नंबर-65 रकवा 4.711 हैक्टेयर लगानी 85.65 रुपया सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा में मेरा हिस्सा आराजी रकवा 0.715.87 हैक्टेयर है जो मिल्कियत मेरी है जिसमें से रकवा 0.127 हैक्टेयर को मैंने बजरिये बैनामा दिनाक-8.9.200 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 234 के सफा 347/372 नंबर-3855 पर हुआ,

शसविहारी



चन्द्रपाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

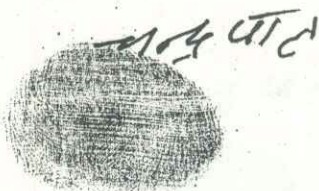
482629



(3)

केशवदेव से खरीदी व शेष भूमि मेरी पैत्रिक सम्पत्ति है और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से پاک साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र پاک साफ मिलिकयत मेरी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 800000/-रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी रकवा 0.715.87 हैक्टेयर की स्टाम्प हेतु मालियत 1500000/-रुपया है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से मुझको

रासबिहारी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482628



(4)

एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी रकवा 0.715.87 हैक्टेयर को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 1500000/-पन्द्रह लाख रुपये जिसके आधे 750000/-सात लाख पचास हजार रुपया होते हैं। बदस्त महेन्द्रसिंह पुत्र श्री बालेराम निवासी कोयला बाली बस्ती झींगुरपुरा, मथुराके हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रुपया खरीदार से पहले ही पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करे अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करवा रुपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे

रासबिंद

रासबिंद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482627

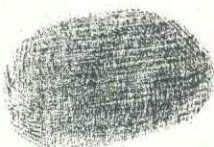


(5)

है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फंसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है । विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है । उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है । फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं । उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है । विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है । अब विक्रेता का उक्त खसरा नंबर में कोई भी भाग भूमि शेष नहीं रही है । मुख्तारनामा आम दिनांक-4.12.2006 जिसका निबन्धन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 129 के सफा 333/340 नंबर-722 हुआ के द्वारा मुझ रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठकगली राजाधिराज बाजार, मथुरा को क्रेता महेन्द्रसिंह पुत्र श्री बालेराम निवासी कोयला बाली बस्ती झींगुरपुरा, मथुरा के हक में भूमि क्रय करने कीमत का रुपया अदा करने बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं ।

रासबिहारी

चन्द लाल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

482626



(6)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-21.1.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा
ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा।

नरेश लाल



शशिबहादुर



मकसद जगद

विजयपाल शो मवासी
निवासी आन्यौर
तहसील व जिला
मथुरा

मिन्टू शर्मा श्री श्री वज्रं लाल शर्मा
श्री काना जन्म स्थान सेवा स्थान
मथुरा

33 21/11/08

नाम श्री पुत्र
मठा

B. K. Chaturvedi
Assistant Cashier
MATHUR.

आज दिनांक 02/04/2008 को
वही सं 1 जिल्द सं 2776
पृष्ठ सं 331 से 344 पर क्रमांक 2678
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अरुणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
2/4/2008

P.P. M.B. No 3 / 23-1-00

23-1-00

